न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 39 / 2024 (GCMS No. 2024 / 132)

ताराचन्द उम्र 64 वर्ष पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

— आवेदक

बनाम

1. बालाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
2. मनोज पुत्र महावीरसिहं जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं ।
3. विनोद पुत्र महावीरसिहं जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
4. राजेश पुत्र महावीरसिहं जाति जाट निवासी ज़ैतपुरा तहसील जिला झुझुनू।
5. विमला पत्नी महावीरसिहं जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं ।
6. रामनिवास पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनू ।
7. कविता पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
8. बुलकेश पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
9. बिमलादेवी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनू।
10. मणी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
11. राजेन्द्रसिहं पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
12. विनोद पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
13. विश्म्भर सिहं पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनू।
14. सरोज पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
15. दयानन्द पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
16. पूर्णमल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
17. बनवारी पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
18. सुरेश कुमार पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
19. ताराचन्द पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील जिला झुझुनूं।
20. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक धनुरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
22. झुझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
23. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय मलसीसर जिला झुझुनूं (राज.)

— अनावेदकगण

41

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 6 मो0 रशीद खान
वकील अप्रार्थी संख्या 13 – श्री विनोद कुमार गिल
वकील अप्रार्थी संख्या 15 से 18 – श्री संदीप सिंह राठोड़

निर्णय

दिनांक 10.12.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का हमीरी कला की सरहद में ख.न. 86 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि आवेदक की खातेदार काश्तकार की भूमि है जिस पर आवेदक काबिज काश्त है उक्त भूमि आवेदक को पैत्रिक रूप से प्राप्त हुई है। ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का हमीरी कला की सरहद में भूमि ख.न. 105 रकबा 2.17 हैक्टर भूमि अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 भूमि ख.न 102 रकबा 2.26 हैक्टर अनावेदक संख्या 7 लगायत 14 तथा भूमि ख.न. 86/401 रकबा 1.72 हैक्टर अनावेदक संख्या 15 लगायत 18 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर वे काबिज काश्त है। आवेदक अपने खेत ख0न0 86 में आने जाने के लिये अनावेदक सख्यां 1 लगायत 6 के खेत ख.न. 105 में से बालाराम के मकानात के दक्षिण दिशा में स्थित प्रचलित रास्ते से होते हुये भूमि ख.न. 105 की पूर्वी सीमा पर लगे लोहे के गेट से ख.न. 105 व 102 की सीमा पर से होते हुये अनावेदक संख्या 15 लगायत 18 के खेत ख.न. 86/401 में प्रवेश करता है तथा ख.न. 86/401 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अपने खेत में आवागमन कर रहा हैं पूर्व में भी आवेदक उक्त रास्ते से ही ऊंट गाड़ा मवेशी, टैक्टर आदि लाता ले जाता रहा है। आवेदक के पास अपनी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है उक्त रास्ता अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के खेत ख.न. 105 में जाने वाले प्रचलित रास्ते से भूमि ख.न. 105 व 102 की सीमा पर से होकर आवेदक के खेत तक जाता है। भूमि ख.न. 86/401 के खातेदार अनावेदक संख्या 15 लगायत 18 ने अपनी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे आवेदक के खेत तक जाने का रास्ता छोड़ रखा है लेकिन भूमि ख.न. 105 के खातेदारान ने अपनी पूर्वी सीमा पर तारबन्दी कर उक्त पुश्तैनी रास्ते को अनावेदक संख्या 7 लगायत 14 के खेत ख.न. 102 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे डाल दिया जिसके कारण अब ख.न. 102 के खातेदारान उक्त रास्ते में तारबन्दी वगैरह कर बन्द करने की धमकी दे रहे हैं तथा उक्त रास्ते को बन्द करने की भी फिराक में है यदि अनावेदक संख्या 7 लगायत 14 अपनी भूमि ख.न. 102 में से आवेदक के खेत में जाने वाले रास्ते को तारबन्दी वगैरह करके बन्द कर देते है तो आवेदक को अपने काश्तकारी अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा क्योंकि आवेदक के पास अपने खेत में पहुंचने के लिय अन्य कोई वैकल्पिक मौजुद नहीं है। आवेदक अपनी भूमि पर उद्यान आदि विकसित करना चाहता तथा कुआ कर बिजली का कनेक्शन भी लेना चाहता है जिसके

41

लिये आवेदक को अपनी भूमि पर बड़ा वाहन ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है इसलिये आवेदक सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए. से बी. बिन्दु तक अनावेदक सख्यां 1 लगायत 14 के खेत ख.न. 105 व 102 के मध्य की सीमा से होते हुये ख.न. 86/401 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता कटानी दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं जो कि न्याय संगत है।

आवेदक की भूमि ख.न. 86 की पश्चिमी दिशा में ख.न. 85 रकबा 0.82 हैक्टर भूमि अवस्थित है उक्त भूमि ख.न0 85 की उतरी सीमा के सहारे सहारे वाके ग्राम जैतपुरा से सोनासर के लिये ग्रेवल सड़क जाती है जो आवेदक के खेत ख.न. 85 से सबसे लघुतम दुरी पर स्थित है उक्त ग्रेवल सड़क से भी आवेदक को अनावेदक संख्या 19 के उत्तरी पूर्वी कोने से नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु सी. से डी. तक राजस्व रिकार्ड में 4 मीटर चौड़ा रास्ता कटानी दर्ज करवाकर दिलवाया जा सकता है। आवेदक उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले डी एल सी दर की दुगुनी दर से न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान करने के लिये तैयार है। भूमि ख.न. 105 के खातेदार महावीरसिहं तथा रूकमादेवी का स्वर्गवास हो चुका है रूकमा देवी के विधिक वारिसान पहले से रिकार्ड पर है परन्तु महावीर सिहं के विधिक वारिसान रिकार्ड पर नहीं इसलिये महावीर सिहं के स्थान पर उनके विधिक वारिसान को अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 को आवेदन पत्र में पक्षकार बनाया गया है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 86 में आने जाने के लिये खेत ख0न0 105 व 102 की मध्य सीमा से होते हुये ख0न0 86/401 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे अथवा लघुतम मार्ग प्रदान करने की स्थिति में अनावेदक संख्या 19 की भूमि खेत ख0न0 85 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे भी नजरी नक्शें में दर्शित बिन्दु सी से डी जैतपुरा से सोनासर जाने वाली ग्रेवल सड़क से रास्ता दिलवाया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 2, 4 लगायत 6 की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रशीद खान, अनावेदक संख्या 13 की ओर से एडवोकेट विनोद कुमार गिल तथा अनावेदक संख्या 15 लगायत 18 की ओर से एडवोकेट संदीप सिंह राठोड़ ने वकालतनामा पेश किया। अनावेदक संख्या 15 लगायत 18 की ओर से जमीन के बदले जमीन दिये जाने की शर्त पर रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। अनावेदक संख्या 2, 4, 5, 6, 13 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया इनके द्वारा जवाब पेश न कर सीधे बहस करनी चाही।

अनावेदकगण संख्या 1, 3, 7 लगायत 12, 14, 19 लगायत 22 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु

407

पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1, 3, 7 लगायत 12, 14, 19 लगायत 22 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 1547 दिनांक 18.10.2024 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख0न0 86 में आने जाने हेतु ख0न0 85 में सबसे लघुतम रास्ता है जिसकी लम्बाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता की लम्बाई ख0न0 102 व 105 में 74 मीटर व ख0न0 86/401 में 106 मीटर कुल 180 मीटर तथा चौड़ई 4 मीटर है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता सी से डी सबसे लघुतम रास्ता है इसके अतिरिक्त ख0न0 86 में पहुंच हेतु अन्य कोई लघुतम रास्ता नहीं है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 85 में से दर्शित सी से डी तक का लघुतम रास्ता दिये जाने में सहमत है। वकील अप्रार्थीगण को ख0न0 85 में से रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय् नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के

लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 86 में आने जाने हेतु ख0न0 85 में प्रस्तावित सी से डी तक का रास्ता तथा ख0न0 102, 105, 86/401 में से प्रस्तावित ए से बी तक का रास्ता में से जो भी लघुतम, रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 86 में पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा ख0न0 85 में दर्शित सी से डी लघुतम रास्ता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 86 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 85 में तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट में सी से डी तक दर्शित रास्ता जिसकी लम्बाई 10 मीटर है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 85 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 85 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार मलसीसर को पालनार्थ भेजी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर